(126)

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 481] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 1987/भाद्र 27, 1909
No. 481] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 1987/BHADRA 27, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 802 (अ),—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1987 का पंजाब अधिनियम सं. 1) का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, विस्तार करती है, अर्थात्:—

उपान्तरण

1. धारा 1 में उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा"।

2. धारा 3–ख में,—

(1) उपधारा (i) में "पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारम्भ से ही" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 के चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार से ही" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(2) परन्तुक में, "पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारम्भ से पूर्व" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार के पूर्व" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(3) धारा 3–ग में, "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 4 का लोप किया जाएगा ।

उपाबन्ध

पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986
(1987 का पंजाब अधिनियम सं. 1)

पंजाब मोटरयान कराधान अधिनियम, 1924 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

1924 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 2 का संशोधन :

2. पंजाब मोटरयान कराधान अधिनियम, 1924 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(1) विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (ककक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और निम्नलिखित खण्ड को खण्ड (ककक) के इस प्रकार पुनः अक्षरांकित किए जाने के पूर्व अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) "अशक्त यात्री गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका लदान रहित वजन तीन सौ किलोग्राम से अधिक नहीं है और जो किसी शारीरिक खराबी या निःशक्तता से पीड़ित किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से रूपांकित तथा निर्मित किया गया है, न कि केवल अनुकूल बना दिया गया है और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए ही किया जाता है;"

(2) खण्ड (ककक) के इस प्रकार पुनः अक्षरांकित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ककक) "मोटर साइकिल" से दो पहियों वाला मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका लदान रहित वजन ऐसी किसी एक अतिरिक्त पहिए वाली पृथक्करणीय साइड कार के लदान रहित वजन के साथ, जो मोटरयान से संलग्न हो, 406.82 किलोग्राम से अधिक नहीं है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई अशक्तयात्री गाड़ी नहीं है;" और

(3) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(गग) "रजिस्ट्रीकरण" से मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) के उपबन्धों के अधीन किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ।"

1924 के पंजाब अधिनियम में नई धारा 3-ख और 3-ग का अंतःस्थापन :

3. मूल अधिनियम में धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

मोटर साइकिल पर एक मुश्त राशि में कर का उद्ग्रहण ।

"3-ख (1) धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी, पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 के, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार से ही किसी मोटर साइकिल पर कर एक-मुश्त राशि में जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किया गया है, उद्ग्रहणीय होगा और इस अधिनियम के उपबन्ध उद्ग्रहण के इस तरीके को, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

(2) 90.72 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित वजन वाली मोटर साइकिल पर कर की दर एक सौ पचास रुपये होगी और अन्य मोटर-साइकिलों पर यह पांच सौ रुपए होगी जो मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय संदेय होगी :

परन्तु पंजाब मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर साइकिल की दशा में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उपयोग के लिए मोटर साइकिल रखता है, यह वैकल्पिक होगा कि वह या तो धारा 3 में या विनिर्दिष्ट किश्तों में कर का संदाय करे या इसमें इसके नीचे विनिर्दिष्ट रूप में एक मुश्त राशि में कर का संदाय करे:—

क्रम सं.	मोटर साइकिल के, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, उपयोग की अवधि	90.72 कि.ग्रा. से अनधिक लदान रहित वजन वाली मोटर साइकिल पर कर की दर (रुपयों में)	अन्य मोटर साइकिलों पर कर की दर (रुपयों में)
1.	तीन वर्ष से कम	120	400
2.	तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु छह वर्ष से कम	90	300
3.	छह वर्ष या उससे अधिक किन्तु नौ वर्ष वर्ष से कम	60	200
4.	नौ वर्ष या अधिक	30	100

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कर की दर—

(क) किसी ऐसी मोटर साइकिल के संबन्ध में, जिसका ट्रेलर खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, पचास प्रतिशत; और

(ख) किसी ऐसी मोटर साइकिल के संबन्ध में, जिसका साइड कार खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, पच्चीस प्रतिशत,

बढ़ाई जाएगी ।

कुछ मामलों में कर का प्रतिदाय

3—ग. जहां किसी ऐसी मोटर साइकिल का स्वामी, जिसके संबन्ध में धारा 3—ख के अधीन एक-मुश्त राशि में कर का संदाय किया गया है, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहता है और अपने साथ ऐसी मोटर साइकिल ले जाता है या यदि उस मोटर साइकिल का स्वामित्व किसी ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर दिया जाता है, जिसका निवास चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से बाहर है, वहां इस प्रकार संदत्त एक-मुश्त कर का भागतः प्रतिदाय इसमें नीचे विनिर्दिष्ट रूप में अनुज्ञात होगा :—

क्रम सं.	मोटर साइकिल के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपयोग की अवधि	90.72 कि.ग्रा. से अनधिक लदान रहित वजन वाली मोटर साइकिल पर प्रतिदाय की दर (रुपयों में)	अन्य मोटर साइकिलों पर प्रतिदाय की दर (रुपयों में)
1.	तीन वर्ष से कम	90	300
2.	तीन वर्ष या अधिक किन्तु छह वर्ष से कम	60	200
3.	छह वर्ष या अधिक किंतु नौ वर्ष से कम	30	100

[(यू.-11015/3/87-यू टी एल) (171)]
ईश्वरी प्रसाद गुप्त, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th September, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986 (Punjab Act No. 1 of 1987), as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force at once".

2. In section 3-B,—

(i) In sub-section (1), for the words, brackets and figures "on and from the commencement of the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986", the words "on and from the extension of the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986 to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(ii) In the proviso, for the words, brackets and figures "before the commencement of the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act 1986" the words "before the extension of the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986 to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. In section 3-C for the words "State of Punjab" wherever they occur the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

4. Section 4 shall be omitted.

IndiaCode

ANNEXURE

THE PUNJAB MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1986

(Punjab Act No. 1 of 1987)

AN

ACT

to amend the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 2 of Punjab Act 4 of 1924.

2. In the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 2,—

(i) the existing clause(a) shall be relettered as clause(aa) and the following clause shall be inserted before clause(aa) as so relettered, namely :—

"(a) 'invalid carriage' means a motor vehicle the unladen weight whereof does not exceed 300 kilograms and which is specially designed and completed, and not merely adapted, for the use of a person suffering from some physical defect or disability, and used solely by or for such a person";

(ii) after clause (aa) as so relettered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(aaa) 'motor cycle' means a two wheeled motor vehilcle the unladen weight whereof exclusive of the unladen weight of any detachable side car, having an extra wheel, attached to the motor vehicle, does not exceed 406.82 kilograms, but does not include an invalid carriage"; and

(iii) after clause(c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(cc) 'registration' means the registration of a motor vehicle under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act No. 4 of 1939)."

Insertion of new sections 3-B and 3-C in Punjab Act 4 of 1924.

3. In the Principal Act, after section 3-A, the following sections shall be inserted, namely :—

Imposition of tax in lump sum on motor cycle.

"3-B (1) Notwithstanding anything contained in section 3, on and from the extension of the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986, to the Union territory of Chandigarh, tax on a motor cycle shall be leviable in lump sum as hereinafter provided and the provisions of this Act shall apply mutatis mutandis to this mode of levy.

(2) The rate of tax on a motor cycle having unladen weight not exceeding 90.72 kilograms shall be one hundred & fifty rupees and on other motor cycles it shall be five hundred rupees which shall be payable at the time of the registration of the motor vehicle :

Provided that in the case of a motor cycle registered before the extension of the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1986 to the Union territory of Chandigarh,it shall be optional for the person who keeps the motor cycle for use either to pay the tax in instalments as specified in section 3, or to pay the tax in lump sum as hereunder specified :—

Sl. No.	Duration of use of motor cycle since the date of its registration	Rate of tax on a motor cycle having unladen weight not exceeding 90.72 kilograms (in rupees)	Rate of tax on other motor cycles (in rupees)
1.	Less than three years	120	400
2.	Three years or more but less than six years	90	300
3.	Six years or more but less than nine years	60	200
4.	Nine years or more	30	10

(3) The rate of tax specified in sub-section (2) shall be increased by—

(a) fifty per cent in respect of a motor cycle which is used for drawing a trailor; and

(b) twenty-five per cent in respect of a motor cycle used for drawing a side-car.

Refund of tax in certain cases

3-C. Where an owner of a motor cycle in respect of which tax has been paid in lump sum under section 3-B ceases to be the resident of the Union territory of Chandigarh and takes alongwith him such motor cycle or if the ownership of the motor cycle is transferred to a person having residence outside the Union territory of Chandigarh partial refund of the lump sum tax so paid shall be allowed as hereunder specified.

Sl. No.	Duration of use after registration of motor cycle.	Rate of refund on motor cycle having unladen weight not exceeding 90.72 Kilograms (in rupees)	Rate of refund on other motor cycles (in rupees)
1.	Less than three years	90	300
2.	Three years or more but less than six years.	60	200
3.	Six years or more but less than nine years.	30	100

[(U-11015/3/87-UTL)(171)]
I.P. GUPTA, Addl. Secy.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987